



प्रेषक,

कमलेश कुमार,

उप सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक 14 सितम्बर, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज में निरुद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी अशोक पुत्र श्री दर्शन चमार, निवासी जनपद-अम्बेडकरनगर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-4400/प्रो0अनु0-(7)/14/2025(बैठक दिनांक 19.01.2026, दिनांक-16.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज में निरुद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी अशोक पुत्र श्री दर्शन चमार, जो संग्रामपुर, थाना-कोतवाली अकबरपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर का निवासी है। दिनांक 21.05.2016 को बंदी द्वारा पीडिता उम्र 08 वर्ष के साथ बलात्कार करने का अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-36/2016 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-376(क), 377 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो-प्रथम), अम्बेडकरनगर के आदेश दिनांक 15.05.2023 द्वारा 20 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बंदी पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी को जेल में और आगे निरुद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी द्वारा दिनांक 26.09.2025 तक 09 वर्ष, 04 माह की अपरिहार सजा तथा 09 वर्ष, 09 माह, 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है एवं बन्दी की आयु 27 वर्ष, 09 माह, 06 दिन है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दिनांक 21.05.2016 को बंदी द्वारा पीडिता उम्र 08 वर्ष के साथ बलात्कार करने का अपराध कारित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत निरुद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी अशोक पुत्र श्री दर्शन चमार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गई है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी अशोक (बन्दी संख्या-202/24) पुत्र श्री दर्शन चमार, निवासी जनपद-अम्बेडकरनगर को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार बन्दी के फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर।
- 2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज।
- 3- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
- 4- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

दिनांक- 14 सितम्बर, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज में निरुद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी अशोक पुत्र श्री दर्शन चमार, जो संग्रामपुर, थाना-कोतवाली अकबरपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर का निवासी है। दिनांक 21.05.2016 को बन्दी द्वारा पीडिता उम्र 08 वर्ष के साथ बलात्कार करने का अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-36/2016 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-376(क), 377 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो-प्रथम), अम्बेडकरनगर के आदेश दिनांक 15.05.2023 द्वारा 20 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में और आगे निरुद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी द्वारा दिनांक 26.09.2025 तक 09 वर्ष, 04 माह की अपरिहार सजा तथा 09 वर्ष, 09 माह, 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है एवं बन्दी की आयु 27 वर्ष, 09 माह, 06 दिन है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दिनांक 21.05.2016 को बन्दी द्वारा पीडिता उम्र 08 वर्ष के साथ बलात्कार करने का अपराध कारित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत निरुद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी अशोक पुत्र श्री दर्शन चमार को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गई है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।